कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद हाथरस

पत्र सं0–सीएफओ0–हाथरस/पेट्रो0 अना0/2020/३५

दिनांक–मार्च 19 .2020

सेवामें,

जिला पूर्ति अधिकारी
हाथरस।

विषय– इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि0, (मार्केटिंग डिवीजन) आगरा डिवीजनल ऑफिस, इण्डियन ऑयल भवन, 65/2 संजय प्लेस, आगरा के संलग्न पत्र संख्या–**AG/R/NOC** दिनांक 30.01.2020 के अनुसार खसरा संख्या –128/7/2, ग्राम बिलार, तहसील सिकन्दराराऊ, जनपद हाथरस पर एक नवीन रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अग्निसुरक्षा विषयक आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ– आपका पत्रांक 1555/जि0पू0अ0–पेट्रो0अनु0/2020 दिनांक 26.02.2020।

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में खसरा संख्या–128/7/2, ग्राम दिलार, तहसील सिकन्दराराऊ, जनपद हाथरस पर नवीन रिटेल आउटलेट स्थल का अग्निसुरक्षा एंव पेट्रोलियम एक्ट 1934 व पेट्रोलियम नियम 2002 तथा ओ0आई0एस0डी0–225 के मानकों के अनुरूप निरीक्षण एंव परीक्षण किया गया तो निम्न तथ्य प्रकाश में आये–

1. प्रस्तावित स्थल कानपुर–देहली रोड, सिकन्दराराऊ से अलीगढ रोड पर के0एम0 स्टोन न0–165 से 651.00 मीटर की दूरी पर स्थिति है। जहा पर अग्निशमन के सभी वाहन आसानी से पहुँच सकते हैं।
2. प्रस्तावित फिलिंग स्टेशन की भूमि का क्षेत्रफल–2025.00 वर्गमीटर है।
3. मानचित्र के ले–आउट प्लान में 20 के0एल0 क्षमता के 02 अदद हाई स्पीड डीजल (एच0एस0डी0) भूमिगत टैंक तथा 20 के0एल0 क्षमता का 01 अदद पेट्रोल (एम0एस0) भूमिगत टैंक प्रस्तावित है।
4. प्रस्तावित टैंकों के ऊपर 04 मीटर ऊँचाई के अलग–अलग वेन्ट पाइप प्रस्तावित है।
5. पेट्रोलियम/फिलिंग स्टेशन हेतु 12.00 मीटर चौडाई के एक–एक प्रवेश एवं निकास मार्ग प्रस्तावित है।

प्रस्तावित व्यवस्था एंव अग्निशमन प्रणाली

1. सम्पूर्ण विद्युत व्यवस्था आई0एस0–2148–1646 व आई0एस0–5572 के मानकों के अनुरूप किया जाय तथा विद्युत वायरिंग में ई0एल0सी0बी0/एम0सी0बी0 का प्रयोग किया जाये।
2. प्रत्येक टैंक के लिए अलग–अलग वेन्ट पाइप का प्राविधान किया जाए जो आपस में जुडी नहीं होना चाहिए एंव ऊँचाई 4 मी0 होनी चाहिए तथा उसके चारों तरफ 4 मी0 में कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए।
3. वेन्ट पाइप पेट्रोलियम नियम 2002 एंव OISD-225 के मानक के अनुरूप होना चाहिए।
4. टैंक में तेल भरते समय टैंक डिस्पेंसर व लारी के पास खुली आग का प्रयोग करना वर्जित होगा।
5. लारी/तेल टैंकर से तेल ड्रेन करते समय उसकी अर्थिंग किया जाना अति आवश्यक होगा।
6. स्टोरेज के पास फायर बकेट बालू से भरी हुई 12 अदद मय स्टैण्ड रखी जायें।
7. डिस्पेंसर यूनिटों के पास दो–दो अदद आई0एस0 मार्क ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर्स क्षमता 9 किलोग्राम के रखे जायें समस्त अग्निशमन यन्त्रों को सदैव क्रियाशील दशा में रखने एंव उनका रख–रखाव नियमानुसार किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धको का होगा।
8. इलेक्ट्रिकल उपकरणों के पास आई0एस0 मार्क कार्बनडाई आक्साइड फायर एक्सटिंग्यूशर्स 2 अदद क्षमता 4.5 कि0ग्रा0 के रखे जायें।
9. डीजल जनरेटर सेट के पास आई0एस0 मार्क ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर्स 2 अदद 6 कि0ग्रा0 क्षमता एव दो अदद 9 लीटर क्षमता के मैकेनिकल फोम फायर एक्सटिंग्यूशर्स आई0एस0 मार्क के रखे जाये और D.G Sets के स्टैक Hight नियमानुसार होना चाहिए एव टैंक के वेन्ट से उचित दूरी होनी चाहिए।
10. सेल्सरूम एव ल्यूबरूम में ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 06 के0जी0 के 01–01 अदद एव इलेक्ट्रिकल पैनल के पास सी0ओ0टू0 फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 4.5 के0जी0 के 01 अदद रखा जाना अनिवार्य होगा।

क्रमशः—

चन्द्रमणि राय
वरिष्ठ प्रबंधक (रिटेल सेल्स)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि0
आगरा मंडल कार्यालय
संजय प्लेस, आगरा–282002

11. समरसेबिल पम्प को जनरेटर से जोड़ा जाये व पम्प पर टी लगाकर 63 एम0एम0 की मेल कपलिंग/हाइड्रेन्ट लगवाये जाय जिससे अग्निशमन के वाहन आवश्यकता पडने पर पानी प्राप्त कर सकें।
12. लाइसेंस एरिया में जंक्शन बाक्स के साथ सभी लाइटें फ्लेम प्रूफ होनी चाहिए।
प्रत्येक डिस्पेंसर यूनिट पर इमरजेंसी स्टाप सिस्टम होना चाहिए।
14. इमरजेंसी प्लान OISD-225 के अनुसार होना चाहिए।
15. पेट्रोल पम्प पर कार्यरत सभी कर्मचारियों की ट्रेनिंग OISD-225 के अनुसार होनी चाहिए।
16. पेट्रोल पम्प पर **धूम्रपान निषेध** के बोर्ड लगे होने चाहिए।
17. फायर स्टेशन का टेलीफोन/मो0नं0 9454418490, 9454418492 और पुलिस कन्ट्रोल रूम का फोन नं0 112 बोर्ड पर सार्वजनिक रूप से अंकित होना चाहिए।
18. प्रवेश/निकास द्वार प्रकाशित होने चाहिए, जिससे रात्रि के समय वाहन के आने जाने में कोई असुविधा न हो।
19. ग्राहकों की जागरूकता के लिए निम्न सुरक्षा निर्देशों को बोर्ड पर अंकित कर लटकायें:-
(अ) तेल भरने से पहले वाहन का इंजन बंद कर ले।
(ब) धूम्रपान न करें।
(स) मोबाइल बंद रखें।
20. रिटेल आउटलेट में स्थापित किये गये सभी प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों की टेस्टिंग फीस प्रतिवर्ष राजकीय कोष मे जमा कराना अनिवार्य होगा तथा विभागीय अग्निशमन अधिकारी से प्रतिवर्ष निरीक्षण कराकर अग्निशमन प्रमाण पत्र प्राप्त करना भी आवश्यक होगा।
21. मानचित्र में अंकित NOTS में बिन्दु संख्या 1-24 तक का पूर्णतया पालन किया जाये।

अतः उपरोक्त ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था एवं प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए पेट्रोलियम एक्ट 1934 व पेट्रोलियम नियम 2002 एवं OISD-225 में उल्लेखित नियमों का कड़ाई से पालन किये जाने तथा सम्पूर्ण निर्माण हो जाने के उपरान्त उपयोग से पहले पुनः निरीक्षण कराकर स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा निर्गत आख्या स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

अतएव उपरोक्त शर्तों के अनुसार इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि0, (मार्केटिंग डिवीजन) आगरा के द्वारा खसरा संख्या -128/7/2, ग्राम बिलार, तहसील सिकन्दराराऊ, जनपद हाथरस पर एक नवीन रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अग्निसुरक्षा विषयक आख्या संस्तुति सहित सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक-मानचित्र।

17/3/2020

(ए0के0सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
हाथरस

चन्द्रमणि राय
वरिष्ठ प्रबंधक (रिटेल सेल्स)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि0
आगरा मंडल कार्यालय
संजय प्लेस, आगरा-282002